



कार्यालय नगर निगम हैरिटेज जयपुर

(जलेबी चौक, पुराना पुलिस मुख्यालय भवन, जयपुर)



क्रमांक:- एफ.29 ()अधि,अभि,प्रो/ननिज है/2022-23/

दिनांक:-

हेरिटेज निगम-छह सौ किलो पॉलीथिन जब्त, 50 हजार रूपए का किया चालान

हेरिटेज नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 600 किलो पॉलीथिन जब्त की है। इस संबंध में उपायुक्त स्वास्थ्य सोहन सिंह नरुका ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश पर शाखा लगातार कार्रवाई कर रही है। शाखा ने मिश्र राजाजी के रास्ते में एक गोदाम पर छापा मारकर 600 किलो प्लास्टिक जब्त किया और 50 हजार रूपए का चालान भी किया। उपायुक्त नरुका ने बताया कि प्लास्टिक प्रकृति और मानव के लिए हानिकारक है। आमजन के इसके बजाए कपडे या जूट का बैग उपयोग में लेना चाहिए। प्लास्टिक के कई हानिकारक दुष्प्रभाव है। हेरिटेज निगम के द्वारा बाजारों में जाकर समझाइश भी की जा रही है।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(राजस्थान नगरपालिका लेखा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन)

बुक नं. 250136 रसीद रसीद नं. 71

जोन. 4C(H) वार्ड नं. 71 संग्रहकर्ता क्र. 2038 दिनांक. 26/06/2024

श्री. निरंजन पता. मिश्र राजाजी

खाता क्रमांक. सेवा क्रमांक.

कर व शुल्क का नाम	वर्ष	कुल देय राशि	वसूल राशि	चैक नं. बैंक का नाम व दिनांक
गृहकर			50000/-	
भूमि किराया (लीज)				
दुकान किराया				
लाइसेंस शुल्क				
विज्ञापन शुल्क				
सरचार्ज				
ब्याज				
पेनल्ट				
जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क				
केरिंग चार्ज				
अन्य				
प्रगामी योग प्रतिदिन रु.		कुल राशि रु. छूट रु. शुद्ध राशि रु.	50000/-	

अक्षरे रु. 50 हजार रूपए मात्र

नोट : 1. इस पावती पर राशि लेने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं सील नहीं होने पर पावती वैध नहीं मानी जायेगी।
2. चैक की राशि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही पावती वैध मानी जायेगी।

स्क्रोल का पेज नं./सीरियल नं.

नकद/चैक से प्राप्त हुए।
संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील





